

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- नीलम लखारा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 41/2013 (2013/00015)

तारीख दायरा-04.06.2013

तारीख निर्णय-01.02.2021

1. श्री पुनाशंकर पिता गंगाराम जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
2. श्री भंवरलाल पिता गंगाराम जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
3. श्री शान्तिलाल पिता गंगाराम जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।

.....वादीगण

## बनाम

1. श्री लालूराम पिता श्री भीमा जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
2. श्री केशुलाल पिता धनरूप जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
3. श्री देवीलाल पिता चमना जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
4. श्री प्रेमशंकर पिता चमना जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
5. श्री प्रतापलाल पिता चमना जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
6. श्री मगनलाल पिता मोती जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
7. श्री पोपटलाल पिता श्री मोती जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
8. श्री लीलाशंकर पिता श्री मोती जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
9. श्री रेवाशंकर पिता श्री मोती जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
10. श्री भवानीशंकर पिता श्री मोती जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
11. श्री लक्ष्मीलाल पिता श्री मोती जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
12. मु. मोहनीबाई पति श्री मोती जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
13. श्री शान्तिलाल पिता भूरा जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
14. श्रीमति दरिया बाई पिता भूरा जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
15. श्रीमति मन्जु पिता भूरा जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
16. श्री कालुलाल पिता नरसिंह जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
17. श्री फतहलाल पिता नरसिंह जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
18. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

.....प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपरिथत- वादी की ओर से- श्री गिरिजा शंकर मेहता

प्रतिवादी की ओर से- एक तरफा

## निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा मातासुला तहसील गोगुन्दा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 17 के सहस्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित है, जिसके खाता संख्या 53, 54, 55 व 56 है। खाता संख्या 53 में वर्णित आराजियात किता 43 कुल रकबा 11.18 बीघा में वादीगण का 1/2 हिस्सा, खाता संख्या 54 में वर्णित आराजी किता 1 रकबा 0.07 बीघा में वादीगण का 1/6 हिस्सा, खाता संख्या 55 में वर्णित आराजियात किता 23 कुल रकबा 7.14 बीघा में वादीगण का 1/8 हिस्सा एवं खाता संख्या 56 में वर्णित आराजी किता 1 रकबा 1.00 बीघा में वादीगण का 1/4 हिस्सा निहित है। वादपत्र की कलम संख्या एक में वर्णित उक्त आराजियात मौरूसी सम्पति होकर वादीगण अपनी समझ से ही अपने हिस्से पर शान्तिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे हैं, परन्तु भूमि को विधिवत विभाजन नहीं होने से आयेदिन लडाई झगडा होता

*Neelam*  
उपखण्ड अधिकारी  
गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)

रहता है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजियात का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा डिक्री प्रदान कराई जाकर भूमि अलग-अलग खाते दर्ज कराई जावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र के तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 से 17 बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 18 प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने एवं जवाब पेश नही करना चाहने से जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में जवाब पेश नही होने से तनकियात कायम नही की गई। वादीगण की एक तरफा साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू. 01 पुनाशंकर एवं पी.डब्ल्यू. 02 भवानी जोशी के शपथ पत्र पेश हुए, जो शामिल मिसल किये गये एवं वादीगण की साक्ष्य बन्द की गई। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने वादपत्र में अंकित किये है।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। मौजा मातासुला पटवार क्षेत्र वास तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 के खाता संख्या 53, 54, 55 एवं 56 के अवलोकन से वादग्रस्त आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 17 के संयुक्त खातेदारी में होना स्पष्ट प्रतीत होता है, जिसका अभी विधिवत विभाजन नही हुआ है। वादीगण वादग्रस्त आराजियात का हिस्से अनुसार विभाजन चाहते है। प्रतिवादीगण को प्रकरण में प्रोपर तामील होने के बावजुद भी अनुपस्थित रहे है, जिससे यह जाहिर होता है कि उनको भी वादग्रस्त आराजियात के विभाजन में कोई आपत्ती नही है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियात का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 17 के मध्य हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा मातासुला पटवार मण्डल वास तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 के खाता संख्या 53 में वर्णित आराजियात किता 43 कुल रकबा 11.18 बीघा, खाता संख्या 54 में वर्णित आराजी किता 01 रकबा 0.07 बीघा, खाता संख्या 55 में वर्णित आराजियात किता 23 कुल रकबा 7.14 बीघा एवं खाता संख्या 56 में वर्णित आराजी किता 01 रकबा 1.00 बीघा भूमि का बंटवाड़ा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 17 के मध्य हिस्सेनुसार मौके के कब्जे को ध्यान में रखते हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्धान्त के आधार पर राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुशरण में विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर नियुक्त किया गया। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा बंटवाड़ा योजना प्रस्ताव उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर उभय पक्ष को कोई आपत्ती नहीं होने से स्वीकार किया गया।

वादग्रस्त भूमि का पक्षकारों के मध्य बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है एवं भूमि भी पक्षकारान को लगभग- लगभग बराबर - बराबर दी गई है। जिससे वादी के हिस्से की भूमि का विविक विभाजन किया गया साथ ही विभाजन प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री जारी कि जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा मातासुला पटवार हल्का वास तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2072 से 75 के खाता संख्या 56, 58 एवं 54 के आराजी संख्या रकबा कंमश 250/0.09, 279/0.04, 282/0.04, 309/0.04, 324/0.03, 456/0.04, 490/0.04, 560/0.03, 568/0.02, 698/0.03, 699/0.09, 738/0.04, 796/0.05, 798/0.06, 810/0.05, 943/0.04 बिस्वा कुल आराजीयात किता 16 रकबा 3.13 बीघा भूमि श्री लालुराम पिता भीमा

*Nellam*  
उपखण्ड अधिकारी  
गोगुन्दा, जिला-बदरपुर (राज.)

ब्राह्मण के खातेदारी में रखी जाती है। आराजी संख्या रकबा कंमश 28/0.08, 319/0.04, 790/0.02, 793/0.02 कुल किता 4 रकबा 0.16 बीस्वा भूमि श्री भंवरलाल पिता गंगाराम ब्राह्मण के खातेदारी में रखी जाती है। आराजी संख्या रकबा कंमश 359/0.11, 487/0.06 कुल किता 2 रकबा 0.17 बीस्वा भूमि श्री भंवरलाल, पुर्णाशंकर, शान्तिलाल पिता गंगाराम ब्राह्मण के खातेदारी में रखी जाती है। आराजी संख्या 429 रकबा 0.08 बीस्वा कुल किता 1 रकबा 0.08 बीस्वा भूमि श्री भंवरलाल पिता गंगाराम के 1/2 हिस्सा एवं श्री लालुराम पिता भीमा के 1/2 हिस्सा खातेदारी में रखा जाता है। आराजी संख्या 485 रकबा 0.15 कुल किता 1 रकबा 0.15 बीस्वा भूमि श्री भंवरलाल, शान्तिलाल पिता गंगाराम के हिस्से में 1/2 हिस्सा, श्री लालुराम पिता भीमा के 1/2 हिस्सा खातेदारी में रखा जाता है। आराजी संख्या 629 रकबा 0.06 कुल किता 1 रकबा 0.06 बीस्वा भूमि श्री पुर्णाशंकर पिता गंगाराम के 1/2 हिस्सा, श्री लालुराम पिता भीमा के 1/2 हिस्सा खातेदारी में रखा जाता है। आराजी संख्या 356 रकबा 0.13 बीस्वा भूमि कुल किता 1 रकबा 0.13 बिस्वा भूमि श्री शान्तिलाल पिता गंगाराम के 1/2 एवं लालुराम पिता भीमा के 1/2 हिस्सा खातेदारी में रखा जाता है। आराजी संख्या 401 रकबा 0.04, आराजी संख्या 815 रकबा 0.03, आराजी संख्या 158 रकबा 0.06 कुल किता 3 रकबा 0.13 बिस्वा भूमि श्री शान्तिलाल पिता गंगाराम ब्राह्मण के खातेदारी में रखी जाती है। आराजी संख्या 331 रकबा 0.04, आराजी संख्या 480 रकबा 0.04, आराजी संख्या 780 रकबा 0.06, आराजी संख्या 792 रकबा 0.03 कुल किता 4 रकबा 0.17 बिस्वा भूमि श्री पुर्णाशंकर पिता गंगाराम ब्राह्मण के खातेदारी में रखी जाती हैं। आराजी संख्या 321 रकबा 0.05, आराजी संख्या 322 रकबा 0.02, आराजी संख्या 352 रकबा 0.06, आराजी संख्या 574 रकबा 0.03 कुल किता 4 रकबा 0.16 बिस्वा भूमि श्री पुर्णाशंकर, भंवरलाल, शान्तिलाल पिता गंगाराम के 1/2 हिस्सा एवं श्री लालुराम पिता भीमा के 1/2 हिस्सा खातेदारी में रखा जाता है। आराजी संख्या 308 रकबा 0.05 कुल किता 1 रकबा 0.05 बिस्वा भूमि श्रीमती देवीबाई पत्नी मणीशंकर माद्रेचा के खातेदारी में रखी जाती है। आराजी संख्या 675 रकबा 0.05 एवं आराजी संख्या 676 रकबा 0.10 कुल किता 2 रकबा 0.15 बिस्वा भूमि श्रीमती कंचनबाई पत्नि शांतिलाल ब्राह्मण के खातेदारी में रखी जाती है। आराजी संख्या 970/1 रकबा 0.05 कुल किता 1 रकबा 0.05 बिस्वा भूमि श्री शान्तिलाल पित गंगाराम ब्राह्मण के खातेदारी में रखी जाती हैं। आराजी संख्या 970मी0 रकबा 0.05 कुल किता 1 रकबा 0.05 बिस्वा भूमि श्री लालुराम पिता भीमा ब्राह्मण के खातेदारी में रखी जाती है। आराजी संख्या 438 रकबा 0.07 आराजी संख्या 439 रकबा 0.07 कुल किता 2 रकबा 0.14 बिस्वा भूमि श्री पुर्णाशंकर, भंवरलाल, शान्तिलाल पिता गंगाराम ब्राह्मण के 1/2 हिस्सा एवं श्री लालुराम पिता भीमा ब्राह्मण के 1/2 हिस्सा खातेदारी में रखा जाता है। आराजी संख्या 880 रकबा 0.08 एवं आराजी संख्या 263 रकबा 0.11 कुल किता 2 रकबा 0.19 बिस्वा भूमि श्री पुर्णाशंकर, भंवरलाल, शान्तिलाल पिता गंगाराम ब्राह्मण के खातेदारी में रखी जाती हैं। आराजी संख्या रकबा कंमश 26/0.04, 27/0.09, 49/0.04, 50/0.04, 52/0.10, 53/0.05, 93/0.04, 94/0.04, 101/0.12, 132/0.10, 175/0.07, 177/0.05, 179/0.05, 225/0.06, 226/0.11, 261/0.03, 262/0.13, 685/0.05, 686/0.06, 799/0.03, 878/0.05 कुल किता 21 रकबा 6.15 बीधा भूमि श्री लालुराम पिता भीमा का हिस्सा 1/7, चम्पालाल, गोविन्दलाल, भगवतीबाई, कलाबाई पिता केशुलाल एवं धापुबाई पत्नि स्व0 केशुलाल ब्राह्मण का हिस्सा 4/7, श्री मगनलाल, पोपटलाल, लीलाशंकर, रेवाशंकर, भवानीशंकर, लक्ष्मीलाल पिता मोती मु0 मोहनीबाई पत्नि स्वा0 मोती का हिस्सा 1/7 एवं शान्तिलाल, दरियाबाई, मंजु पिता भूरा ब्राह्मण का हिस्सा 1/7 रखा जाता है। आराजी संख्या 969मी0 रकबा 0.15 बिस्वा भूमि कुल किता 1 रकबा 0.15 बिस्वा भूमि श्री पुर्णाशंकर, भंवरलाल पिता गंगाराम के 1/4 हिस्सा, श्री लालुराम पिता भीमा के 1/4 हिस्सा, श्री लालुराम, शान्तिलाल पिता कालुलाल के 1/4 हिस्सा, श्री फतहलाल पिता नरसिंह के 1/4 हिस्सा खातेदारी में रखा जाता है। इसी प्रकार आराजी संख्या 969/1 रकबा 0.05 कुल

Neelam  
उपखण्ड अधिकारी  
गोन्दा, जिला-व्ययपुर (राज.)

किता 1 रकबा 0.05 बिस्वा भूमि श्री शान्तिलाल पिता गंगाराम ब्राह्मण के खातेदारी में रखी जाती हैं। एतदनुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी किया जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*Neelam*

(नीलम लखारा)

उपखण्ड अधिकारी  
गंगाना, उदयपुर (राज.)  
गंगाना, जिला-उदयपुर

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

## वाद डिक्री

पीठासीन अधिकारी:- नीलम लखारा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-41/2013

(2013/00015)

निर्णय दिनांक:- 01.02.2021

## वादी पक्ष

1. श्री पुनाशंकर पिता री गंगाराम जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
2. श्री भंवरलाल पिता गंगाराम जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
3. श्री शान्तिलाल पिता गंगाराम जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।

## प्रतिवादी पक्ष

### बनाम

1. श्री लालूराम पिता श्री भीमा जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
2. श्री केशुलाल पिता धनरूप जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
3. श्री देवीलाल पिता चमना जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
4. श्री प्रेमशंकर पिता चमना जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
5. श्री प्रतापलाल पिता चमना जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
6. श्री मगनलाल पिता मोती जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
7. श्री पोपटलाल पिता श्री मोती जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
8. श्री लीलाशंकर पिता श्री मोती जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
9. श्री रेवाशंकर पिता श्री मोती जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
10. श्री भवानीशंकर पिता श्री मोती जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
11. श्री लक्ष्मीलाल पिता श्री मोती जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
12. मु. मोहनीबाई पति श्री मोती जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
13. श्री शान्तिलाल पिता भूरा जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
14. श्रीमति दरिया बाई पिता भूरा जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
15. श्रीमति मन्जु पिता भूरा जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
16. श्री कालुलाल पिता नरसिंह जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
17. श्री फतहलाल पिता नरसिंह जोशी निवासी मातासुला तहसील गोगुन्दा।
18. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

वाद बाबत

अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट


वादी की ओर से-

श्री गिरिजा शंकर मेहता

प्रतिवादी की ओर से-

एक तरफा

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 01.02.2021 को प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद बहक वादी डिक्री किया जाता है मौजा मातासुला पटवार हल्का वास तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2072 से 75 के खाता संख्या 56, 58 एवं 54 के आराजी संख्या रकबा क्रमश 250/0.09, 279/0.04, 282/0.04, 309/0.04, 324/0.03, 456/0.04, 490/0.04, 560/0.03, 568/0.02, 698/0.03, 699/0.09, 738/0.04, 796/0.05, 798/0.06, 810/0.05, 943/0.04 बिस्वा कुल आराजीयात कित्ता 16 रकबा 3.13 बीघा भूमि श्री लालुराम पिता भीमा ब्रह्मण के खातेदारी में रखी जाती है। आराजी संख्या रकबा क्रमश 28/0.08, 319/0.04, 790/0.02, 793/0.02 कुल कित्ता 4 रकबा 0.16 बीस्वा भूमि श्री भंवरलाल पिता गंगाराम ब्राह्मण के खातेदारी में रखी जाती है। आराजी संख्या रकबा क्रमश 359/0.11, 487/0.06 कुल कित्ता 2 रकबा 0.17 बीस्वा भूमि श्री

  
उपखण्ड अधिकारी  
गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)

भंवरलाल, पुर्णाशंकर, शान्तिलाल पिता गंगाराम ब्राह्मण के खातेदारी में रखी जाती है। आराजी संख्या 429 रकबा 0.08 बीस्वा कुल किता 1 रकबा 0.08 बीस्वा भूमि श्री भंवरलाल पिता गंगाराम के 1/2 हिस्सा एवं श्री लालुराम पिता भीमा के 1/2 हिस्सा खातेदारी में रखा जाता है। आराजी संख्या 485 रकबा 0.15 कुल किता 1 रकबा 0.15 बीस्वा भूमि श्री भंवरलाल, शान्तिलाल पिता गंगाराम के हिस्से में 1/2 हिस्सा, श्री लालुराम पिता भीमा के 1/2 हिस्सा खातेदारी में रखा जाता है। आराजी संख्या 629 रकबा 0.06 कुल किता 1 रकबा 0.06 बीस्वा भूमि श्री पुर्णाशंकर पिता गंगाराम के 1/2 हिस्सा, श्री लालुराम पिता भीमा के 1/2 हिस्सा खातेदारी में रखा जाता है। आराजी संख्या 356 रकबा 0.13 बीस्वा भूमि कुल किता 1 रकबा 0.13 बिस्वा भूमि श्री शान्तिलाल पिता गंगाराम के 1/2 एवं लालुराम पिता भीमा के 1/2 हिस्सा खातेदारी में रखा जाता है। आराजी संख्या 401 रकबा 0.04, आराजी संख्या 815 रकबा 0.03, आराजी संख्या 158 रकबा 0.06 कुल किता 3 रकबा 0.13 बिस्वा भूमि श्री शान्तिलाल पिता गंगाराम ब्राह्मण के खातेदारी में रखी जाती है। आराजी संख्या 331 रकबा 0.04, आराजी संख्या 480 रकबा 0.04, आराजी संख्या 780 रकबा 0.06, आराजी संख्या 792 रकबा 0.03 कुल किता 4 रकबा 0.17 बिस्वा भूमि श्री पुर्णाशंकर पिता गंगाराम ब्राह्मण के खातेदारी में रखी जाती हैं। आराजी संख्या 321 रकबा 0.05, आराजी संख्या 322 रकबा 0.02, आराजी संख्या 352 रकबा 0.06, आराजी संख्या 574 रकबा 0.03 कुल किता 4 रकबा 0.16 बिस्वा भूमि श्री पुर्णाशंकर, भंवरलाल, शान्तिलाल पिता गंगाराम के 1/2 हिस्सा एवं श्री लालुराम पिता भीमा के 1/2 हिस्सा खातेदारी में रखा जाता है। आराजी संख्या 308 रकबा 0.05 कुल किता 1 रकबा 0.05 बिस्वा भूमि श्रीमती देवीबाई पत्नी मणीशंकर माद्रेचा के खातेदारी में रखी जाती है। आराजी संख्या 675 रकबा 0.05 एवं आराजी संख्या 676 रकबा 0.10 कुल किता 2 रकबा 0.15 बिस्वा भूमि श्रीमती कंचनबाई पत्नि शांतिलाल ब्राह्मण के खातेदारी में रखी जाती है। आराजी संख्या 970/1 रकबा 0.05 कुल किता 1 रकबा 0.05 बिस्वा भूमि श्री शान्तिलाल पित गंगाराम ब्राह्मण के खातेदारी में रखी जाती हैं। आराजी संख्या 970मी0 रकबा 0.05 कुल किता 1 रकबा 0.05 बिस्वा भूमि श्री लालुराम पिता भीमा ब्राह्मण के खातेदारी में रखी जाती है। आराजी संख्या 438 रकबा 0.07 आराजी संख्या 439 रकबा 0.07 कुल किता 2 रकबा 0.14 बिस्वा भूमि श्री पुर्णाशंकर, भंवरलाल, शान्तिलाल पिता गंगाराम ब्राह्मण के 1/2 हिस्सा एवं श्री लालुराम पिता भीमा ब्राह्मण के 1/2 हिस्सा खातेदारी में रखा जाता है। आराजी संख्या 880 रकबा 0.08 एवं आराजी संख्या 263 रकबा 0.11 कुल किता 2 रकबा 0.19 बिस्वा भूमि श्री पुर्णाशंकर, भंवरलाल, शान्तिलाल पिता गंगाराम ब्राह्मण के खातेदारी में रखी जाती हैं। आराजी संख्या रकबा कंमश 26/0.04, 27/0.09, 49/0.04, 50/0.04, 52/0.10, 53/0.05, 93/0.04, 94/0.04, 101/0.12, 132/0.10, 175/0.07, 177/0.05, 179/0.05, 225/0.06, 226/0.11, 261/0.03, 262/0.13, 685/0.05, 686/0.06, 799/0.03, 878/0.05 कुल किता 21 रकबा 6.15 बीधा भूमि श्री लालुराम पिता भीमा का हिस्सा 1/7, चम्पालाल, गोविन्दलाल, भगवतीबाई, कलाबाई पिता केशुलाल एवं धापुबाई पत्नि स्व0 केशुलाल ब्राह्मण का हिस्सा 4/7, श्री मगनलाल, पोपटलाल, लीलाशंकर, रेवाशंकर, भवानीशंकर, लक्ष्मीलाल पिता मोती मु0 मोहनीबाई पत्नि स्वा0 मोती का हिस्सा 1/7 एवं शान्तिलाल, दरियाबाई, मंजु पिता भूरा ब्राह्मण का हिस्सा 1/7 रखा जाता है। आराजी संख्या 969मी0 रकबा 0.15 बिस्वा भूमि कुल किता 1 रकबा 0.15 बिस्वा भूमि श्री पुर्णाशंकर, भंवरलाल पिता गंगाराम के 1/4 हिस्सा, श्री लालुराम पिता भीमा के 1/4 हिस्सा, श्री

*Nello*  
**उपखण्ड अधिकारी**  
 गोन्दा, जिला-झरपुर (राज.)

लालुराम, शान्तिलाल पिता कालुलाल के 1/4 हिस्सा, श्री फतहलाल पिता नरसिंह के 1/4 हिस्सा खातेदारी में रखा जाता है। इसी प्रकार आराजी संख्या 969/1 रकबा 0.05 कुल किता 1 रकबा 0.05 बिस्वा भूमि श्री शान्तिलाल पिता गंगाराम ब्राह्मण के खातेदारी में रखी जाती हैं।

*Neelam*  
(नीलम लखारा)

**उपखण्ड अधिकारी**  
गोगुन्दा, जिला गोगुन्दा (राज.)